

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या :2025/184

सिविल प्रकरण संख्या:- 52/2025

तारीख रजू 21.08.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
.....आवेदक

बनाम

रतन लाल जैन पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जैन (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स रतन लाल जितेन्द्र कुमार जैन, चौथ का बरवाडा, सवाईमाधोपुर निवासी सदर बाजार, कोतवाली रोड, चौथ का बरवाडा
..... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय:-

दिनांक 15.10.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत दिनांक 25.02.2025 को 05.00 पी.एम. पर मैसर्स रतन लाल जितेन्द्र कुमार जैन, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम रतन लाल जैन पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जैन होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाया जो वर्ष 2026 तक के लिए मान्य था। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि एक कमरे में कई गत्ता कार्टून व पीपो में घी (श्री गोपी कृष्णा), घी (महान) आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए थे। उक्त घी (महान) में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 1 लीटर के 4 पैकेट खरीदकर उसकी कीमत 1080/- रुपये रतन लाल जैन को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान अमर सिंह व नितेश गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे रतन लाल जैन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति रतन लाल जैन को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 01 लीटर के 4 पैकेट घी (महान ब्राण्ड) मूल पैक खरीदकर तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं H-3635 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग




214
न्याय निर्णयन अधि
एवं अति. जिला मजि
सवाई माधोपुर

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर रिलिफ क्रमांक H-3635 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/390 दिनांक 25.03.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/702/एक्ट/2025/701 दिनांक 11.03.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (महान ब्राण्ड) अनसेफ प्रकृति का होना पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 46(4) की उप धारा 2.4.6(1) के तहत नमूने की जांच से असंतुष्ट होते हुए नियमानुसार नियत अवधि में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र 8 में नमूने की पुनः जांच हेतु आवेदन कर अपील की जिस अपील को स्वीकार करते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) द्वारा लिये गये नमूने के द्वितीय भाग को वास्ते जांच हेतु रेफरल लेब में भिजवाया गया एवं प्राप्त हुई रेफरल लेब मैसूर की जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या 531F/FSSA/2025 दिनांक 04.07.2025 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (महान) का नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा Sub-Standard घी (महान) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त द्वारा प्रकरण जवाब पेश गया किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने Sub-Standard घी (महान) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।


अभियुक्त ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से **खाद्य पदार्थ घी (महान)** का सेम्पल भरा गया था जिसको लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। अभियुक्त ने यह भी निवेदन किया कि उसके पास उक्त घी का क्व बिल नहीं है। अन्त में अभियुक्त ने गलती स्वीकार करते हुए कम से कम पैलेन्टी लगाकर प्रकरण का निरस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि रेफरल लेब मैसूर की जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या 531F/FSSA/2025 दिनांक 04.07.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ घी (महान), Sub Standard** प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस प्रकरण में गलती स्वीकार की है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूँकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ घी (महान)** का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 30,000/-रु० (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(संजय शर्मा)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर